जन सुनवाई का कार्यवृत

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अंतर्गत एवं कार्यालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर के आदेश क्रमांक सामान्य/2021/2532 दिनांक 31/08/2021 की अनुपालना में मैसर्स अरिहंत माईन्स डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड एवं मैसर्स एडवानटिस क्वार्टज एल.एल.पी. की प्रस्तावित क्वार्टज मय क्लस्टर खनन परियोजना (कुल 9 खनन पट्टे), एम.एल संख्या 23/2019, क्षेत्रफल 1.0145 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 69124 टन प्रतिवर्ष (आर.ओ.एम.) (मैसर्स अरिहंत माईन्स डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड) एवं एम.एल. सख्या 29/2019, क्षेत्रफल– 1.0539 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता– 72493 टन प्रतिवर्ष (आर.ओ.एम.), एम.एल. सख्या 22/2019, क्षेत्रफल– 1.0713 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता– 74084 टन प्रतिवर्ष (आर.ओ.एम.) (मैसर्स एडवानटिस क्वार्टज एल.एल.पी.) एवं क्लस्टर क्षेत्रफल 9.7185 हैक्टेयर, क्लस्टर उत्पादन क्षमता 694587 टन प्रतिवर्ष (आर.ओ.एम.) के खनन की पर्यावरणीय स्वीकृती हेतु जनसुनवाई दिनांक 06.10.2021 को ग्राम पंचायत कराड़ा (खनन स्थल ग्राम पंचायत), तहसील–सागवाड़ा, जिला–डूंगरपुर (राजस्थान) को प्रातः 11:00 बजे जिला कलक्टर, डूंगरपुर के प्रतिनिधि श्री कृष्णपाल सिंह चौहान, अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ठ "अ" में सलंग्न है। जनसुनवाई बाबत् विज्ञप्ति दिनांक 04–09–2021 को समाचार पत्र दैनिक नवज्योति एंव दैनिक भास्कर में प्रकाशित करवाई गई थी जिसकी प्रतियाँ परिशिष्ठ "ब" में संलग्न है। जनसुनवाई के दौरान परियोजना प्रस्तावक मैसर्स अरिहंत माईन्स डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड में निदेशक तथा मैसर्स एडवानटिस क्वार्टज एल.एल.पी. में भागीदार श्री मुकेश मोदी भी उपस्थित थे ।

जनसुनवाई आरंभ करते हुए सर्वप्रथम श्री कृष्णपाल सिंह चौहान, अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर ने उपस्थित जनसमुदाय को जनसुनवाई के उद्वेश्यों के बारे में बताया व उपस्थित जनसमुदाय से कहा कि जनसुनवाई के दौरान प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में आप अपने आपत्ति/सुझाव रख सकते है। इसके पश्चात क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बासंवाड़ा के क्षेत्रीय अधिकारी श्री आशीष कुमार बौरासी ने सभी आगुन्तको का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना के अंतर्गत जनसुनवाई की आवश्यकता/प्रक्रिया के बारे में अवगत करवाया तथा कहा कि प्रस्तावित परियोजना क्लस्टर क्षेत्र में आने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृती हेतु जनसुनवाई किया जाना अनिवार्य है।

इसके पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी श्री आशीष कुमार बौरासी ने परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश कुमार शर्मा, मैसर्स वरदान एन्वायरोनैट से आग्रह किया कि वे इस

खनन परियोजना के बारे में विस्तृत प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासियों को अवगत करावें।

परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश कुमार शर्मा ने मैसर्स अरिहंत माईन्स डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड एवं मैसर्स एडवानटिस क्वार्टज एल.एल.पी. की प्रस्तावित क्वार्टज मय क्लस्टर खनन परियोजना (कुल 9 खनन पट्टे), एम.एल संख्या 23/2019, क्षेत्रफल 1.0145 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 69124 टन प्रतिवर्ष (आर.ओ.एम.) (मैसर्स अरिहंत माईन्स डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड) एवं एम.एल. सख्या 29/2019, क्षेत्रफल– 1.0539 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता–72493 टन प्रतिवर्ष (आर.ओ.एम.), एम.एल. सख्या 22/2019, क्षेत्रफल– 1.0713 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता–74084 टन प्रतिवर्ष (आर.ओ.एम.) (मैसर्स एडवानटिस क्वार्टज एल.एल.पी.) एवं क्लस्टर क्षेत्रफल 9.7185 हैक्टेयर, क्लस्टर उत्पादन क्षमता 694587 टन प्रतिवर्ष (आर.ओ.एम.) व इस क्लस्टर मे आने वाली परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएं, खनन योग्य खनिज भण्डार, खनन विधि, खान की आयु, अध्ययन क्षेत्र का विवरण, टोपोग्राफी, खनन से होने वाले संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और न्यूनीकरण उपाय, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, कामगारों के कल्याण के लिये और प्रस्तावित नियमित सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) से सम्बंधित जानकारी उपस्थित ग्रामवासियों/जनसमूह को बताई गई। तत्पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी श्री आशीष कुमार बौरासी द्वारा उपस्थित जनसमूह को प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में आक्षेप/सुझाव हेतु आमंत्रित किया गया।

1. श्री प्रकाश पड़्या निवासी ग्राम कराड़ा ने आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि जो जनकल्याण के कार्य/जानकारी इस परियोजना के बारे में बताई गई है, क्या परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन सभी को पूरा किया जाएगा एवं क्या इस परियोजनाओं में खनिज का पाउडर बनाया जाएगा व क्या इससे आस–पास के निवासियों के स्वास्थ पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा व क्या इन परियाजनाओं द्वारा आस–पास के निवासियों को रोजगार दिया जाएगा व क्या इन परियोजनाओं द्वारा खनिज परिवहन मार्ग का रख–रखाव किया जाएगा या कोई वैकल्पिक मार्ग सुझाया जाएगा व क्या इन परियोजनाओं में ब्लास्टिंग की जाएगी, अगर की जाएगी, तो क्या आस–पास के सतही जल के मार्ग पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, सुझाव दिया कि परियोजना प्रस्तावकों द्वारा जो भी जनकल्याण के कार्य किये जाएं वे एक समिति बनाकर व्यवस्थित रूप से किये जाएं व श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर को आग्रह किया कि गांव में बिजली की समस्या का समाधान किया जाए।

   उपरोक्त प्रश्नों के जवाब में परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि इन परियोजनाओं को जो पर्यावरणीय स्वीकृति मिलेगी उसमे इस जनसुनवाई में हमारे द्वारा बताई गई सभी जानकारीयां, पर्यावरण संरक्षण हेतु किये जाने वाले कार्य एवं जनकल्याण के कार्य करने हेतु आर्थिक प्रबंध सशर्त लिखित होगी व परियोजना प्रस्तावक इन समस्त कार्यों को करने हेतु बाध्य होगा।

परियोजना प्रस्तावकों द्वारा आस–पास के निवासियों को ही रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। इन परियोजनाओं में किसी भी प्रकार का पाउडर बनाने का संयत्र नहीं लगाया जाएगा केवल क्वार्टज खनिज का खनन किया जाएगा जिससे आस–पास के निवासियों के स्वास्थ्य पर काई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। परियोजना प्रस्तावकों द्वारा सामाजिक दायित्वों के तहत सावधिक स्वास्थ्य जांच शिविर नियमित रूप से आयोजित किये जाएगें व परियोजना प्रस्तावकों द्वारा खनिज परिवहन मार्ग का नियमित रूप से रख–रखाव किया जाएगा व खनिज परिवहन हेतु आवश्यकता पडने पर वैकल्पिक मार्ग को अपनाया जाएगा। इन परियोजनाओं द्वारा सतही जल के मार्ग को अवरूद्व नहीं किया जाएगा व नाही भूजल स्तर को प्रतिछेदित किया जाएगा। इन परियोजनाओं में ब्लास्टिंग की आवश्यकता नहीं है परन्तु आवश्यकता होने पर खान सुरक्षा महानिर्देशालय (डी.जी.एम.एस) के मापदंड़ो के तहत ही ब्लास्टिंग की जाएगी।

इसके पश्चात पुनः श्री प्रकाश पड़्या निवासी ग्राम कराड़ा ने जानकारी चाहते हुए पूछा की आज के उपरान्त उक्त परियोजनाओं से सम्बधित कोई आपत्ति दर्ज करनी हो तो कहां व कैसे करें।

उपरोक्त प्रश्न के जवाब में परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा की आप सम्बधित विभाग मे जाकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते है।

श्री कृष्णपाल सिंह चौहान, अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर ने बताया कि अगर कोई परियोजना प्रस्तावक सम्बधित पर्यावणीय व अन्य शर्तों की अनुपालना नहीं करता है तो आप इसकी शिकायत जिला प्रशासन से भी कर सकते है। जिला प्रशासन आपकी शिकायतों की जांच कराएगा एवं शिकायतों का उचित निवारण किया जायेगा। उन्होंने यह भी बताया कि इन परियोजनाओ द्वारा कोई पाउडर नही बनाया जाएगा व खनन कार्य सुरक्षित रूप से समस्त नियमो को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा एवं इन परियोजनाओं द्वारा आस–पास के निवासियों को रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। इसके पश्चात उपस्थित जनसमुदाय से अन्य आपत्ति/सुझाव पूछे।

2. श्री मुकेश कुमार निवासी ग्राम कराड़ा ने जानकारी चाहते हुए पूछा कि इन परियोजनाओं में रोजगार प्राप्त करने हेतु हमें किस प्रकार आवेदन करना होगा तथा सुझाव दिया कि खनिज परिवहन मार्ग का रख–रखाव नियमित रूप से किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी आक्षेप लगाया की पूर्व की अन्य परियोजनाओं द्वारा कोई पौधारोपण नहीं किया गया है व पूर्व की अन्य परियोजनाओं द्वारा ब्लास्टिंग भी नियमों से नहीं की जाती है।

श्री कृष्णपाल सिंह चौहान, अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर ने कहा की रोजगार हेतु आस–पास के निवासियों को परियोजना प्रस्तावक से सम्पर्क करना होगा। पूर्व की अन्य परियोजनाओं द्वारा नियम विरूद्व कार्य करने की जानकारी आप द्वारा जिला प्रशासन को पूर्व में क्यों नही दी गई व आप आज किसी अन्य परियोजना की

जनसुनवाई में पूर्व की अन्य परियोजनाओं की शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने उपस्थित जनसमुदाय से आग्रह किया कि अगर कोई भी परियोजना नियम विरूद्व कार्य करें तो आप इसकी शिकायत जिला प्रशासन से भी कर सकते है। जिला प्रशासन आपकी शिकायतों की जांच कराएगा एवं शिकायतों का उचित निवारण किया जायेगा।

3. श्री रणजीत सिंह निवासी ग्राम रामपुर ने सुझाव देते हुए कहा कि अगर किसी भी निवासी को कोई समस्या होतो ग्राम पंचायत में सम्बधित विभागों के दूरभाष नंबर या कोई टोल फ्री नंबर उपलब्ध कराए जाए जिससे वे अपनी शिकायत सम्बधित विभाग को दर्ज करा सकें।

   श्री कृष्णपाल सिंह चौहान, अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर ने श्री आशीष कुमार बौरासी, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बासंवाड़ा को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने दूरभाष नम्बर सम्बंधित ग्राम पचांयत को उपलब्ध करवाएं।

   परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि इन परियोजनाओं को जो पर्यावरणीय स्वीकृती पत्र प्राप्त होगा उस पर भी सम्बंधित विभाग का दूरभाष नम्बर होता है तथा इसकी एक प्रति सम्बंधित विभाग की वेबसाईट पर भी उपलब्ध रहती है। इन विभागो में भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकतें है। श्री कृष्णपाल सिंह चौहान, अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर ने बताया कि अगर कोई भी विभाग आपकी शिकायतों का निवारण नहीं करता है तो आप जिला प्रशासन को सूचित कर सकते है। जिला प्रशासन निश्चित रूप से आपकी शिकायतों का निवारण करेगा व पूर्व की अन्य परियोजनाओं से सम्बंधित कोई भी शिकायत होतो वो आप लिखित रूप में दे सकते है।

4. श्री रमेश सुथार निवासी ग्राम कराड़ा ने आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि पूर्व की अन्य परियोजनाओं के वाहनों ने गाँव के रास्ते खोद दिए है। गाँव के अन्दर से भी भारी वाहन निकल रहे है जिन्हें अन्य वैकल्पिक रास्तों से निकाले जाने की व्यवस्था करें। नियमानुसार पौधरोपण भी नहीं किया जा रहा है। खान यहाँ चल रही है प्रदूषण यहाँ हो रहा है परन्तु पौधरोपण यहाँ से दूर अन्य जगह पर किया जा रहा है। क्षेत्र में कतिपय लोगों द्वारा अवैध खनन भी किया जा रहा है इससे रोकने पर उनके द्वारा डराया धमकाया जा रहा है।

   उपरोक्त प्रश्नों के जवाब में परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा की परियोजना प्रस्तावकों द्वारा नियमानुसार पौधरोपण परियोजना स्थल पर ही किया जायेगा तथा नियमित सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) के अंतर्गत सड़कों की मरम्मत भी की जाएगी। परियोजना प्रस्तावकों द्वारा खनिज परिवहन मार्ग का नियमित रूप से रख–रखाव किया जाएगा व खनिज परिवहन हेतु आवश्यकता पडने पर वैकल्पिक मार्ग को अपनाया जाएगा।

श्री कृष्णपाल सिंह चौहान, अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर ने बताया की अवैध खनन की सूचना पटवारी को तुरंत दें। पटवारी की सूचना पर खान विभाग द्वारा अवैध खनन बंद करवा कर उस पर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही भी की जाती है। कतिपय लोगों से नहीं डरें व प्रशासन को तुरंत सूचित करें। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी आप अपनी बात प्रशासन तक पहुंचा सकते है। जिला प्रशासन आपके साथ है, निश्चित रूप से आपकी शिकायतों पर कार्यवाही कर नियमानुसार उनका निवारण किया जायेगा। आप सभी को जागरूक होना पड़ेगा जिससे की सभी कार्य नियमानुसार हो।

5. श्रीमती बबली देवी परमार, सरपंच, ग्रामपंचायत कराड़ा ने श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर को पूर्व की अन्य परियोजनाओं से सम्बंधित शिकायतों को लिखित रूप से दर्ज कराया।

   श्री कृष्णपाल सिंह चौहान, अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर ने बताया की शिकायतें पूर्व की अन्य परियोजनाओं एवं अन्य उद्योगों से संबंधित है। जिला प्रशासन निश्चित रूप से आपकी शिकायतों की जांच करवा कर शिकायतों का निवारण करेगा। उन्होंने उपस्थित जनसमुदाय को अवगत कराया कि सरकार द्वारा खनन क्षेत्र के आस–पास के निवासियों के जनकल्याण के कार्य हेतु व खनन क्षेत्र के आस–पास के क्षेत्र के विकास हेतु डी.एम.एफ.टी. ट्रस्ट बनाया हुआ है। सरकार खनन मालिको से रायल्टी के रूप में इस ट्रस्ट हेतु धनराशि टैक्स के रूप में लेती है व इस राशि का उपयोग खनन क्षेत्र के आस पास के निवासियों के विकास हेतु ही किया जाता है।

6. श्री राजेंद्र परमार, जिला परिषद सदस्य, निवासी ग्राम कराड़ा ने अतिरिक्त जिला कलक्टर को लिखित आपत्ति दर्ज कराई गई कि उक्त क्षेत्र में कई क्वार्टज पाउडर बनाने वाली कम्पनियां नियम विरूद्व कार्य कर रही है व सुझाव दिया कि आने वाली नई परियोजनाओं को नियमों से कार्य करने हेतु पाबन्द किया जाए।

   श्री कृष्णपाल सिंह चौहान, अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर ने बताया कि शिकायतें पूर्व की अन्य परियोजनाओं एवं अन्य उद्योगों से संबंधित है। जिला प्रशासन निश्चित रूप से आपकी शिकायतों की जांच करवा कर नियमानुसार शिकायतों का निवारण करवाएगा।

7. श्री गजेन्द्र भावसार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम कराड़ा ने सुझाव दिया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा विकास के कार्यों हेतु जो भी खर्चा किया जाएगा उसका एक एक्शन प्लान बनाया जाए तथा उसका अनुमोदन ग्राम पंचायत से कराया जाए। जिससे कि आम जनता को भी उसकी सम्पूर्ण जानकारी रहे तथा सभी कार्य भी हो जाएँ। इसके अतिरिक्त ग्राम से जो भी भारी वाहन निकले उनकी चुंगी ग्राम पंचायत में जमा कराई जाये जिससे जनकल्याण के कार्य किये जा सकें।

श्री कृष्णपाल सिंह चौहान, अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर ने इसे एक उचित सुझाव बताते हुए इसे जन सुनवाई कार्यवृत में शामिल करने को कहा व परियोजना प्रस्तावकों को क्षेत्र में विकास कार्यों में एकरूपता बनाए रखने हेतु इसका अनुमोदन ग्राम पंचायत से भी कराने को कहा। भारी वाहनों द्वारा चुंगी जमा करवाने के सम्बन्ध में निर्णय पंचायती राज कानून के अंतर्गत ग्राम पंचायत ले सकती है।

8. श्री मानसिंह, निवासी ग्राम कराड़ा ने पूछा कि कोई लीज धारक यदि लीज एरिया के बाहर अवैध खनन करता है तो उसके लिए क्या करें। उन्होंने यह भी मांग की कि परियोजनाओं में स्थानीय निवासियो को रोजगार दिया जाए।

श्री कृष्णपाल सिंह चौहान, अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर ने बताया की शिकायत अवैध खनन से सम्बंधित है। अवैध खनन की सूचना पटवारी एवं प्रशासन को तुरंत दें। सूचना पर खान विभाग पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा अवैध खनन बंद करवा कर उस पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाती है।

परियोजना प्रस्तावक श्री मुकेश मोदी ने जानकारी देते हुए कहा कि आस–पास के निवासियों को ही रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जाएगी।

प्रस्तावित परियोजना के सम्बंध में आम सूचना के समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से परियोजना की जनसुनवाई तक तथा जनसुनवाई के दौरान परियोजना के सम्बन्ध में कोई लिखित आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। इसके पश्चात श्री कृष्णपाल सिंह चौहान, अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर ने उपस्थित जनसमुदाय का जनसुनवाई में आने हेतु आभार प्रकट किया।

श्री आशीष कुमार बौरासी, क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाड़ा ने उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों एवं आक्षेपों को जनसुनवाई के कार्यवृत में शामिल किया जावेगा तथा कार्यवाही विवरण की वीडियो रिकार्डिंग की सी.डी. एवं फोटोग्राफ के साथ उन्हें राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रेषित किया जावेगा। इसके साथ ही जन सुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

(आशीषकुमार बौरासी)
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.मं., बांसवाड़ा

(आशीष कुमार बौरासी)
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म. बांसवाड़ा

(कृष्णपाल सिंह चौहान)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जिला–डूंगरपुर

(कृष्णपाल सिंह चौहान)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

उपस्थिति पंजिका

क्वार्टज (अप्रधान) खनिज मय कलस्टर की खनन् परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई ।

आयोजक	:	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाड़ा (राजस्थान)
आवेदक	:	**मैसर्स अरिहंत माईन्स डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड एवं मैसर्स एडवानटिस क्वार्टज एल.एल.पी.** **पता–अरिहंत कम्पाउण्ड कॉस एन.एच. 08 एवं एन.एच. 76, अम्बेरी, उदयपुर (राजस्थान)**
उत्पादन क्षमता	:	रेफरेंस नं. 2019100008291 (एम. एल.–23/2019) की उत्पादन क्षमता 69124 टन प्रति वर्ष (रोम) रेफरेंस नं. 2019100009849 (एम.एल. – 29/2019) की उत्पादन क्षमता 72493 टन प्रति वर्ष (रोम) रेफरेंस नं. 2019100008521 (एम.एल. – 22/2019) की उत्पादन क्षमता 74084 टन प्रति वर्ष (रोम) कलस्टर की उत्पादन क्षमता 694587 टन प्रति वर्ष (रोम)
निकट ग्राम, तहसील, जिला	:	कराड़ा, तहसील – सागवाड़ा, जिला – डूंगरपुर (राजस्थान)
क्षेत्र	:	रेफरेंस नं. 2019100008291 (एम. एल.–23/2019) का क्षेत्रफल–1.0145 हैक्टेयर रेफरेंस नं. 2019100009849 (एम.एल. – 29/2019) का क्षेत्रफल–1.0539 हैक्टेयर रेफरेंस नं. 2019100008521 (एम.एल. – 22/2019) का क्षेत्रफल–1.0713 हैक्टेयर कलस्टर का कुल क्षेत्रफल –9.7185 हैक्टेयर
परियोजना लागत	:	एम.एल.–23/2019, एम.एल.–29/2019 एवं एम.एल.–22/2019 की परियोजना लागत–40 लाख प्रत्येक के लिए कलस्टर की परियोजना लागत – 460 लाख
जनसुनवाई की दिनाँक	:	06.10.2021
समय	:	प्रातः 11:00 बजे
जनसुनवाई का स्थान	:	ग्राम पंचायत कराड़ा (खनन स्थल ग्राम पंचायत), तहसील–सागवाड़ा, जिला–डूंगरपुर (राजस्थान)

क्र.सं.	नाम एवं पता	हस्ताक्षर
1	K.P. Singh Chouhan ADM Dpr	
2	आशीष कुमार बोरासी, RO, RSPCB, Banswara	
3	बबली परमार सरपंच कराड़ावाड़ा	बबली परमार
4	राजेन्द्र कुमार परमार जिला प्रमुख	
5	राजेन्द्र कुमार ग्रा.वि. अधिकारी	

6	Mukesh Modi 35 Palosaand Udaipur	
7	रणजीतसिंह राव	9783555925 रणजीतसिंह
8		
9	रमेश चन्द्र सुथार कराड़ा	
10	संतोष यादव कराड़ा	
11	राजी आचार्य कराड़ा	
12	नारायण पंचाल कराड़ा	नारायण
13	सुखलाल नाई कराड़ा	सुखलाल
14	राजेश कुमार पाटीदार कराड़	
15	नवरतन पाटीदार कराड़ा	नवरतन
16	प्रकाश चन्द्र पंड्या (कराड़ा)	
17	दयालाल पाटीदार (कराड़ा)	दयालाल
18	Praveen Kumar Parekh Karada	7073837703
19	Om Singh Chouhan (Bhilwara)	Om Singh
20	रूपलाल कटारा कराड़ा भीलवाड़ा	रूपलाल
21	मुकेश बरण्डा कराड़ा का वाड़ा	
22	हुका कराड़ा का वाड़ा	हुका
23	नारंग "	
24	नाथु "	नाथु
25	भगवान पंचाल परिवार कराड़	भगवान
26	हुमारजी	हुमारजी
27	बाबुराम नायक कराड़ा का वाड़ा	बाबुराम नायक
28	पुष्पराज नोयल कराड़ा	
29	नरेश उपाध्याय	
30	वीरेन्द्र कुमार उपाध्याय (कराड़ा)	
31	हंसराज "	
32	देवीलाल कराड़ा	
33		
34	देवीलाल / भोमजी पंचाल	देवीलाल
35	भगवान / हिरजी भगवान व्यास	भगवान

36.	माधवजी जागाजी पटीदार कराड	माधवजी
37	Vishal H. Jangoji Patidar	~~[illegible]~~
38	महेन्द्र परमार कराड (वाडा)	
39	वीरेन्द्र कुमार परमार कराडा वाडा	वीरेन्द्र ई मित्र कराडा
40	मनोहर परमार कराडा वाडा	मनोहर परमार
41	सोमा दायमा कराडा वाडा	सोमा दायमा
42	मेघराज कुमार वाडीवाला	
43	वाडपंच बकोर पाटीदार कराडा	बकोर पाटीदार
44	वीणा देवी	वीणा देवी उपसरपंच
45	Umesh K.V. Sharma Sr. Env. Manager	Vardhan Environment
46	Madhav Lal Agrawal,	Rep. of Arihant Mine Developer
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		

Dainik Navjyoti 04.09.2021

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

चौधरी केम्पस, दुर्गा पेट्रोल पम्प के पास, दाहोद रोड़, बांसवाड़ा

क्रमांक: राप्रनिम / क्षे. का. बांसवाड़ा / 2021–22 / 19 दिनांक: 1 / 9 / 2021

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **मैसर्स एडवान्टिस क्वार्टज एल.एल.पी., एम.एल.न. 22 / 2019, क्षेत्रफल 1.0713 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 74084 टन (आर.ओ.एम.), मैसर्स एडवान्टिस क्वार्टज एल.एल. पी., एम.एल.न. 29 / 2019, क्षेत्रफल 1.0539 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 72493 टन (आर.ओ.एम.) एवं मैसर्स अरिहंत माईन्स डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, एम.एल.न. 23 / 2019, क्षेत्रफल 1.0145 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 69124 टन (आर.ओ.एम.) निकट ग्राम–कराड़ा, तहसील– सागवाड़ा, जिला– डूंगरपुर (राजस्थान)** द्वारा प्रस्तावित क्वार्टज (अप्रधान खनिज) मय क्लस्टर खनन परियोजना निकट ग्राम–कराड़ा, तहसील– सागवाड़ा, जिला– डूंगरपुर (राजस्थान) जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है–

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	खनन पट्टा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	उत्पादन टी.पी.ए (आर.ओ.एम.)
1.	मैसर्स एडवान्टिस क्वार्टज एल.एल.पी.	रेफरेन्स न. 2019100008521 एम एल न. 22 / 2019	1.0713	74084
2.	मैसर्स एडवान्टिस क्वार्टज एल.एल.पी.	रेफरेन्स न. 2019100009849 एम एल न. 29 / 2019	1.0539	72493
3	मैसर्स अरिहंत माईन्स डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	रेफरेन्स न. 2019100008291 एम एल न. 23 / 2019	1.0145	69124
4.	मैसर्स विकास बामनिया	रेफरेन्स न. 20191000012135 एम एल न. 35 / 2019	1.0351	72774
5.	मैसर्स जिस्ट मिनरल्स टेक्नोलोजिस लि.	रेफरेन्स न. 2019100002840 एम एल न. 03 / 2019	1.1677	90012
6	मैसर्स जिस्ट मिनरल्स टेक्नोलोजिस लि.	रेफरेन्स न. 2019100004799 एम एल न. 06 / 2019	1.1301	90012
7	श्री अभिज्ञान शर्मा	रेफरेन्स न. 2019100004043 एम एल न. 05 / 2019	1.0533	76055
8	श्री घनश्याम गुप्ता	एम एल न. 12 / 2019	1.1077	76850
9	मैसर्स क्वार्टज इण्डिया ट्रेडर्स	एम एल न. 08 / 2019	1.0849	71183
		कुल	9.7186	694587

जिसका कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 9.7186 हैक्टेयर तथा कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 694587 टी.पी.ए. (आर.ओ.एम.) है। मैसर्स एडवान्टिस क्वार्टज एल. एल.पी., रेफरेंस न.– 2019100008521, एम.एल. नं. 22 / 2019, क्षेत्रफल–1.0713 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता–74084 टी.पी.ए. (आर.ओ.एम.), मैसर्स एडवान्टिस क्वार्टज एल.एल.पी., रेफरेंस नं.– 2019100009849, एम.एल. नं.– 29 / 2019, क्षेत्रफल–1.0539 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता–72493 टी.पी.ए. (आर.ओ.एम.) एवं मैसर्स अरिहंत माईन्स डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, रेफरेंस नं.– 2019100008291, एम.एल. नं.– 23 / 2019, क्षेत्रफल–1.0145 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता–69124 टी.पी.ए. (आर.ओ.एम.) निकट ग्राम– कराड़ा, तहसील– सागवाड़ा, जिला– डूंगरपुर (राज.) से सम्बंधित प्रस्तावित खनन परियोजना बाबत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज क्लस्टर पर्यावरणीय स्वीकृती हेतु राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA), पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। 2. चूंकि मैसर्स एडवान्टिस क्वार्ट्ज एल.एल.पी., एवं मैसर्स अरिहन्त माईन्स डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मंडल के नाम से अभिलिखित) को उक्त क्लस्टर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन किया है। 3. और चूंकि मण्डल को उक्त क्लस्टर खनन परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय के सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। 4. उक्त क्लस्टर खनन परियोजना से संबंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:– 1. कार्यालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज.) 2. कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र, डूंगरपुर (राज.) 3. कार्यालय खनिज अभियंता, डूंगरपुर (राज.) 4. उपखण्ड अधिकारी, सागवाड़ा, जिला– डूंगरपुर 5. जनसंपर्क अधिकारी, डूंगरपुर (राज.) 6. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, 4–पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना, डूंगरी, जयपुर (राज.) 7. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ए–209 एवं 218, अरण्य भवन, महात्मा गांधी रोड, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर (राज.) 8. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा सं. 8240, द्वितिय तल, ब–प (एसएसओ) भवन, सचिवालय जयपुर। 9. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाड़ा। 10. कार्यालय, ग्राम पंचायत, ग्राम –कराड़ा, तहसील–सागवाड़ा, जिला– डूंगरपुर (राजस्थान) अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त क्लस्टर खनन परियोजना के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित लोक सुनवाई हेतु दिनांक 06.10.2021 (बुधवार) को प्रातः 11:00 बजे, स्थान– ग्राम पंचायत कराड़ा (खनन स्थल ग्राम पंचायत), तहसील–सागवाड़ा, जिला– डूंगरपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप कोविड–19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस संबंध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय बांसवाड़ा में भी दिये जा सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी

(आशीष कुमार भौरासी)

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाड़ा (राज.)

...ा विशेष श्रृंगार

...ाराधना के दिन श्रावण मास का शुक्रवार ...सर पर अंचल के शिवालयों में धार्मिक ...हर के नवामह्यादेव मंदिर पर पुजारी पार्थ ...का आकर्षक आंगी की गई। समूचे मंदिर ...त्र रोशनी से सजाया गया।

...ना के ...व नहीं

...भक्तमाल ...न शास्त्री ... महाराज ...क स्वामी ...राज के ...क बारे में ...ी ने कहा ...हाराज राम ...पासक थे। ...ला आ रहा ...त्र राम नाम ...याण संभव ...। तक ज्ञान ...का दीपक ... सभी धर्मों ...भुदास धाम ...ी महाराज, ...त भावसार, ... दीपशिखा ...द थे।

...दयात्री

... एवम रूद्र ...का दल गांव ...त्र रुद्र वाहिनी ...य ने युवाओं ...क व राष्ट्रीय ...ह्वान किया।

भास्कर CLASSIFIED

एजुकेशन
EDUCATION

कोचिंग क्लासेज

प्रवेश प्रारंभ 2021-22
A.N.M.
नर्सिंग
INC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से
बालाजी
एजुकेशन कन्सल्टेंसी
दोवड़ा, जिला-डूंगरपुर
6377228686, 9414105130

सिद्धि विनायक
STC
मध्यप्रदेश से करें
डूंगरपुर ऑफिस
SBP कॉलेज के सामने, विराम छोटोकॉपी के पीछे
9461995227
सागवाड़ा ऑफिस
9828467785

दैनिक भास्कर में
शोक संदेश व श्रद्धांजलि
अब घर बैठे एक क्लिक या कॉल पर बुक करें
विज़िट BhaskarAd.com
कॉल 9772019222
E mail: support.bhaskarad@dbcorp.in

Dainik Bhaskar
04.09.202

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
चौधरी केम्पस, दुर्गा पेट्रोल पम्प के पास, दाहोद रोड़, बांसवाड़ा

क्रमांकः राप्रनिम/क्षे. का. बांसवाड़ा/2021–22/19 दिनांकः 1/9/2021

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स एडवान्टिस क्वार्टज एल.एल.पी., एम.एल.न. 22/2019, क्षेत्रफल 1.0713 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 74084 टन (आर.ओ.एम.), मैसर्स एडवान्टिस क्वार्टज एल.एल. पी., एम.एल.न. 29/2019, क्षेत्रफल 1.0539 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 72493 टन (आर.ओ.एम.) एवं मैसर्स अरिहंत माईन्स डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, एम.एल.न. 23/2019, क्षेत्रफल 1.0145 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 69124 टन (आर.ओ.एम.) निकट ग्राम–कराड़ा, तहसील– सागवाड़ा, जिला– डूंगरपुर (राजस्थान) द्वारा प्रस्तावित क्वार्टज (अयस्क खनिज) मय क्लस्टर खनन परियोजना निकट ग्राम–कराड़ा, तहसील– सागवाड़ा, जिला– डूंगरपुर (राजस्थान) जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है–

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	खनन पट्टा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	उत्पादन टी.पी.ए (आर.ओ.एम.)
1.	मैसर्स एडवान्टिस क्वार्टज एल.एल.पी.	रेफरेन्स न. 2019100006521 एम एल न. 22/2019	1.0713	74084
2	मैसर्स एडवान्टिस क्वार्टज एल.एल.पी.	रेफरेन्स न. 2019100006649 एम एल न. 29/2019	1.0539	72493
3	मैसर्स अरिहंत माईन्स डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	रेफरेन्स न. 2019100006291 एम एल न. 23/2019	1.0145	69124
4	मैसर्स विकास बामनिया	रेफरेन्स न. 201910000912135 एम एल न. 35/2019	1.0351	72774
5.	मैसर्स जिस्ट मिनरल्स टेक्नोलॉजिस लि.	रेफरेन्स न. 2019100002840 एम एल न. 03/2019	1.1677	90012
6	मैसर्स जिस्ट मिनरल्स टेक्नोलॉजिस लि.	रेफरेन्स न. 2019100004799 एम एल न. 06/2019	1.1301	90012
7	श्री अभिज्ञान शर्मा	रेफरेन्स न. 2019100004043 एम एल न. 05/2019	1.0533	78055
8	श्री घनश्याम गुप्ता	एम एल न. 12/2019	1.1077	75850
9.	मैसर्स क्वार्टज इण्डिया ट्रेडर्स	एम एल न. 06/2019	1.0849	71183
		कुल	9.7185	694587

जिसका कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 9.7185 हैक्टेयर तथा कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 694587 टी.पी.ए. (आर.ओ.एम.) है। मैसर्स एडवान्टिस क्वार्टज एल.एल.पी., रेफरेंस नं.– 2019100006521, एम.एल. नं. 22/2019, क्षेत्रफल–1.0713 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता–74084 टी.पी.ए. (आर.ओ.एम.), मैसर्स एडवान्टिस क्वार्टज एल.एल.पी., रेफरेंस नं.– 2019100006649, एम.एल. नं.– 29/2019, क्षेत्रफल–1.0539 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता–72493 टी.पी.ए. (आर.ओ.एम.) एवं मैसर्स अरिहंत माईन्स डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, रेफरेंस नं.– 2019100006291, एम.एल. नं.– 23/2019, क्षेत्रफल–1.0145 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता–69124 टी.पी.ए. (आर.ओ.एम.) निकट ग्राम– कराड़ा, तहसील– सागवाड़ा, जिला– डूंगरपुर (राज.) से सम्बंधित प्रस्तावित खनन परियोजना बाबत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज क्लस्टर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA), पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। 2. चूंकि मैसर्स एडवान्टिस क्वार्टज एल.एल.पी. एवं मैसर्स अरिहन्त माईन्स डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मंडल के नाम से अभिलिखित) को उक्त क्लस्टर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन किया है। 3. और चूंकि मण्डल को उक्त क्लस्टर खनन परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय के सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। 4. उक्त क्लस्टर खनन परियोजना से संबंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:– 1. कार्यालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज.) 2. कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र, डूंगरपुर (राज.) 3. कार्यालय खनिज अभियंता, डूंगरपुर (राज.) 4. उपखण्ड अधिकारी, सागवाड़ा, जिला– डूंगरपुर 5. जनसंपर्क अधिकारी, डूंगरपुर (राज.) 6. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, 4–पर्यावरण मार्ग, सांस्थानिक क्षेत्र, झालाना, डूंगरी, जयपुर (राज.) 7. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ए–209 एवं 210, अरण्य भवन, महात्मा गांधी रोड, सांस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर (राज.) 8. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा सं. 8240, द्वितिय तल, उ–ब (एसएसओ) भवन, सचिवालय जयपुर। 9. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाड़ा। 10. कार्यालय, ग्राम पंचायत, ग्राम –कराड़ा, तहसील–सागवाड़ा, जिला– डूंगरपुर (राजस्थान) अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त क्लस्टर खनन परियोजना के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित लोक सुनवाई हेतु दिनांक 06.10.2021 (बुधवार) को प्रातः 11:00 बजे, स्थान– ग्राम पंचायत कराड़ा (खनन स्थल ग्राम पंचायत), तहसील–सागवाड़ा, जिला– डूंगरपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप कोविड–19 कोरोना महामारी को ध्यान में रख सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस संबंध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय बांसवाड़ा में भी दिये जा सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी

(आशीष कुमार बौरासी)
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाड़ा (राज.)